न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–02 / 2023 (2023 / 34) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–लादुलाल आत्मज धीसानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–लाडु पत्नि शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रघुनाथ आत्मज शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मनीष आत्मज शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–दिनेश आत्मज शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–जसु पुत्री शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण –

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–25.07.2023

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैयन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 762 / 273 रकबा 0.05 है0 भूमि अनय आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि आराजी में ग्राम मियाला से ग्राम बागड़ खेड़ा जाने वाले आम रास्ते से होकर आम रास्ते के दक्षिणी तरफ खातेदार शंकर आत्मज सुरजमल दरोगा की खातेदारी की आराजी संख्या 280 की पूर्वी पाली पर होते हुए अपनी आराजी संख्या 762 / 273 में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सहित आवागमन करता है और आवागमन का रास्ता वर्षो पुराना है। उक्त वर्णित रास्ता करीबन 15 फीट चौड़ाई में स्थित होकर मौके पर गाडरी गडार के रूप में स्थित है। किन्तु उक्त रास्ता वर्तमान में शंकर दरोगा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी की आराजी में आवागमन करने का यही एकमात्र रास्ता है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की उक्त आराजी में आवागमन करने हेतु मौजुद नही है जिससे उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थी के लिए आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता है। खातेदार शंकर आत्मज सुरजमल दरोगा का स्वर्गवास हो चुका है जिससे विधिक वारीसान विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 है जिन्होने आराजी संख्या 280 की उत्तरी पाली पर छड़िया डालकर बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी उपनी उक्त आराजी में आवागमन नही कर पा रहे है। इसलिए उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी दर से राशि न्यायालय आदेशानुसार जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी संख्या 762 / 273 में संज, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एकमात्र रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 280 की पूर्वी पाली पर होते हुए 15 फीट चौड़ाई में स्थित है को बिलानाम गै.मु. रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने आदेश प्रदान फरमाया जावें व रास्ता खुलासा कराया जावे।

मुकदमा नम्बरः—02 / 2023 (2023 / 34) प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि प्रार्थी के परिजन व पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में मौका देखा गया। उपस्थित प्रार्थी के परिजन व पड़ौसियों द्वारा बताया गया की पूर्व में प्रार्थी, विपक्षी की आराजी संख्या 280 की दक्षिणी मेड़ के सहारे—सहारे होकर आराजी संख्या 278, 279 में होकर आवागमन करते थे परन्तु 2 वर्ष से उपरोक्त जगह से आवागमन बन्द हो जाने से वर्तमान में रास्ता बन्द है। ओर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी विपक्षी की आराजी संख्या 280 की पूर्वी मेड़ के सहारे—सहारे 15 फीट चौड़ाई में रास्ता प्रस्तावित किया गया जिससे कुल 350 वर्गमीटर भूमि रास्ता उपयोग में आयेगी जिसकी ग्राम मियाला की डीएलसी दर 329552 रूपये प्रति है0 सिंचित से रकबा 0.0350 है0 की 11534 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 23069 रूपये बनते है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 762 / 273 रकबा 0.05 है0 में भूमि आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 280 रकबा 0.50 है0 मे से रकबा 0.0350 है0 भूमि (यानि 350 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर से 11534 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 23069 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भूगतान विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 को करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–02 / 2023 (2023 / 34) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–लादुलाल आत्मज घीसानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — प्रार्थी

बनाम

1–लाडु पत्नि शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रघुनाथ आत्मज शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मनीष आत्मज शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–दिनेश आत्मज शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–जसु पुत्री शंकर दरोगा निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 762 / 273 रकबा 0.05 है0 में भूमि आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 280 रकबा 0.50 है0 मे से रकबा 0.0350 है0 भूमि (यानि 350 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर से 11534 / –रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 23069 / –रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका भूगतान विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 को करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)